कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय
डोंगरगढ़, जिला राजनांदगॉव (छ.ग.)

E- mail ID – collegedgg@gmail.com , Website – www.gnpgcollege.in ☎: 07823-296011
Accredited by NAAC with Grade "B+" (CGPA – 2.61)

डोंगरगढ़, दिनांक – 14/10/2024

// आवश्यक सूचना //

महाविद्यालय में **सत्र 2024–25 में स्वाध्यायी विद्यार्थी नीति –2024 के अंतर्गत (बी.ए/बी.कॉम/बी.एस.सी–प्रथम सेमेस्टर) में** स्वाध्यायी/अमहाविद्यालयीन/प्राईवेट विद्यार्थी के रूप में सेमेस्टर प्रणाली में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे अपना ऑनलाइन आवेदन दिनांक 07/10/2024 से दिनांक 23/10/2024 तक भरकर महाविद्यालय में समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिनांक 20/10/2024 से दिनांक 26/10/2024 तक महाविद्यालय में जमा करेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे।

दस्तावेज :–

1. कक्षा 10 वीं की स्वप्रमाणित अंकसूची की छायाप्रति ।
2. कक्षा 12 वीं की स्वप्रमाणित अंकसूची की छायाप्रति ।
3. अंतिम उत्तीर्ण/अनुतीर्ण कक्षा की अंकसूची की छायाप्रति।
4. जाति प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।
5. निवास प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।
6. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।
7. माइग्रेशन सर्टीफिकेट की छायाप्रति।
8. गेप सर्टिफिकेट की मूलप्रति।
9. आवश्यकतानुसार पात्रता प्रमाण पत्र

शुल्क विवरण

अग्रेषण शुल्क	– 30/– (प्रत्येक छात्र)
सैद्वांतिक विषय शुल्क	– 50/– (प्रत्येक छात्र)
प्रायोगिक शुल्क	– 100/– (प्रति प्रायोगिक विषय पर)
जनभागीदारी शुल्क	– 400/– (प्रत्येक छात्र)

संलग्न :– अधिसूचना ।

डॉ. श्रीमती ई.व्ही. रेवती
प्राचार्य
शास. नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय
डोंगरगढ़, जिला – राजनांदगांव (छ.ग.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम– दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.).491001

ई मेल : exam@durguniversity.ac.in *वेब साइट : www.durguniversity.ac.in* *दूरभाष : 0788-2359100*

क्र. 62 /परीक्षा/NEP/स्वाध्यायी/2024 दुर्ग, दिनांक 07.10.2024

//अधिसूचना//

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटलनगर द्वारा प्रेषित पत्र क्र. एफ 3–32/2019/38–1 दिनांक 30.09.2024 के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए **"स्वाध्यायी विद्यार्थी नीति 2024"** लागू किया गया है। उक्त नीति के अन्तर्गत ऐसे विद्यार्थी जो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से सम्बद्ध महाविद्यालयों में **स्वाध्यायी/अमहाविद्यालयीन/प्राईवेट** छात्र/छात्रा के रूप में सत्र **2024–25** के अन्तर्गत बी.ए/बी.एससी./बी.कॉम. **प्रथम सेमेस्टर** पाठ्यक्रमों से परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उनके लिए परीक्षा पद्धति **"सेमेस्टर प्रणाली"** से आयोजित की जायेगी। जिसके लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है, अतः प्राईवेट विद्यार्थियों के पंजीयन हेतु विश्वविद्यालयीन पोर्टल www.durguniversity.ac.in के माध्यम से पंजीयन आवेदन फार्म प्रारंभ करने की तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र.	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	पंजीयन हेतु पोर्टल खोले जाने की तिथि (केवल बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम.प्रथम सेमेस्टर में स्वाध्यायी/प्राईवेट/अमहाविद्यालयीन छात्र के रूप में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए)	**07.10.2024 से 23.10.2024 तक**
2.	स्वाध्यायी विद्यार्थियों को महाविद्यालय में उपलब्ध GE/VAC/SEC का विद्यार्थियों से सहमति उपरांत आबंटन	**24.10.2024 से 26.10.2024 तक**
3.	परीक्षार्थियों द्वारा पंजीयन आवेदन की हार्डकापी आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित महाविद्यालयों में जमा करने की अंतिम तिथि	**24.10.2024 से 26.10.2024 तक**

आवश्यक दिशा–निर्देशः–

- पंजीयन हेतु शुल्क के रूप में राशि रूपये 150/– (शब्दों में राशि रूपये – एक सौ पचास मात्र) का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से करना होगा।
- समस्त विद्यार्थी को **ABC** आई.डी. बनाना अनिवार्य है तत्पश्चात ही वे पंजीयन फार्म भर सकेंगे। (**ABC** आई.डी. हेतु लिंक https://www.abc.gov.in)
- विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन पंजीयन करने के उपरांत पंजीयन आवेदन फार्म संबंधित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से जमा करना तथा संबंधित महाविद्यालयों में उपलब्ध **GE/VAC/SEC** का विद्यार्थियों से सहमति उपरांत आबंटन करना अनिवार्य ळें
- महाविद्यालय अपनी वेबसाईट पर संबंधित महाविद्यालय में उपलबध **GE/VAC/SEC** की सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे।
- निर्धारित अंतिम तिथि तक पंजीयन आवेदन फार्म की हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं करने पर संबंधित विद्यार्थी का पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- पंजीयन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि उपरांत उपरोक्त पाठ्यक्रमों में स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पृथक से अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
- स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन प्रथम/द्वितीय, असाईनमेंट तथा प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी संबंधित महाविद्यालयों द्वारा प्रदान की जायेगी।

क्रमशः 02.........

- सेमेस्टर पद्धति के अन्तर्गत शामिल स्वाध्यायी विद्यार्थियों का पंजीयन प्रथम सेमेस्टर में केवल एक बार ही कराया जाएगा, इन्हें प्रत्येक सेमेस्टर में पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी।
- स्वाध्यायी छात्र/छात्रा को सत्र के मध्य में महाविद्यालय/केन्द्र परिवर्तित करने का विकल्प नहीं रहेगा। अतः विद्यार्थी सावधानीपूर्वक महाविद्यालय का चयन करेंगे।
- प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु मानदेय पूर्ववत विश्वविद्यालय के नियमानुसार रहेगा।
- पंजीयन आवेदन आवेदन जमा करने पर अग्रेषण शुल्क के रूप में राशि रू. 30/– (रूपये – तीस मात्र) का भुगतान संबंधित महाविद्यालय में करना होगा जिसकी रसीद संबंधित महाविद्यालय विद्यार्थियों को प्रदान करेंगे।
- प्रायोगिक विषयों के स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु सेमेस्टर परीक्षा के 45 दिवस पूर्व प्रायोगिक कक्षाएं/लैब वर्क का संचालन अनिवार्य रूप से किया जाए एवं पाठ्यक्रम के आधार पर प्रायोगिक कार्य पूर्ण कराया जाए।
- स्वाध्यायी विद्यार्थियों से महाविद्यालय आंतरिक परीक्षा एवं स्वाध्यायी विद्यार्थी प्रकोष्ठ हेतु शुल्क के रूप में प्रति सैद्धांतिक विषय 50 रूपये (पचास) तथा प्रति प्रायोगिक विषय 100 रूपये (एक सौ) लेंगे। उपरोक्त राशि प्रति सेमेस्टर की दर से भुगतान किया जाना होगा।
- प्रत्येक स्वाध्यायी विद्यार्थी को 30 घंटे की प्रायोगिक कक्षा/लैबवर्क का मिलना चाहिए जो एक क्रेडिट के बराबर होगा। (ज्ञातव्य हो कि प्रायोगिक विषय में 3 क्रेडिट **Theory** एवं 1 क्रेडिट **Practical है।**)
- प्रायोगिक परीक्षाएं पूर्ववत विश्वविद्यालय के समय सारणी अनुसार ली जायेगी तथा प्राप्तांकों को संबंधित महाविद्यालय विश्वविद्यालय को ऑनलाईन प्रेषित करेंगे, इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जायेंगे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

क्र. 63/परीक्षा/NEP/स्वाध्यायी/2024 दुर्ग, दिनांक 07.10.2024

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़।
2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
4. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/वित्त अधिकारी/उ.कु.स. परीक्षा/अकादमिक/गोपनीय एवं संबंधित कार्य सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
5. प्राचार्य, संबंधित समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग।
7. संपादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र/पत्रिकाएं दुर्ग/बेमेतरा/राजनांदगांव/कबीरधाम/बालोद/मोहला–मानपुर– अंबागढ़ चौकी/खैरागढ़–छुईखदान–गंडई को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने लोकप्रिय समाचार पत्रों के आगामी अंक में छात्रहित को ध्यान में रखते हुए समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

उपकुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
— — 0 — —

क्रमांक एफ 3—32/2019/38—1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/09/2024

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विषय :— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रवेशार्थी विद्यार्थियों के लिए "स्वाध्यायी विद्यार्थी नीति—2024" लागू करने संबंधी।

——0——

उपरोक्त विषयांतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राजकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों में स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए "स्वाध्यायी विद्यार्थी नीति—2024" का अनुमोदन किया गया है। उक्त नीति की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

30.09.2024

(राकेश कुमार ध्रुव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3—32/2019/38—1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /09/2024

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, (छ.ग.)
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
5. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
6. कुलपति, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय (छ.ग.)
7. कुलपति, समस्त निजी विश्वविद्यालय (छ.ग.)
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, (छ.ग.)
9. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, (छ.ग.)
10. आयुक्त, संभाग ....
11. समस्त कलेक्टर,.. (छ.ग.)
12. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/सरगुजा/बस्तर
13. समस्त प्राचार्य, ... (छ.ग.)
14. विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।

की ओर पालनार्थ/सूचनार्थ अग्रेषित,

15. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

स्वाध्यायी विद्यार्थी नीति–2024

स्वाध्यायी विद्यार्थी से तात्पर्य नियमित रूप से प्रवेश न लेकर स्वाध्यायी (Self Study) के रूप में अध्ययन करते हैं और परीक्षाओं में शामिल होते हैं उन्हें स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में मान्य किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति--2020 के अनुरूप स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिये नीति निर्धारण किया जाना है। जिससे कि उन्हे भी NEP-2020 के अंतर्गत शामिल किया जा सकें। स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए स्नातक पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के अध्यादेश चार वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अनुसार अध्यादेशित होंगे। सभी राजकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के कारण एकरूपता लाने के लिए स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु नीति लागू किया जाना है।

01. स्वाध्यायी विद्यार्थियों की पंजीयन तिथि एवं अवधि का निर्धारण।

नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथि की समाप्ति से स्वाध्यायी विद्यार्थियों के पंजीयन हेतु 20 दिवस का समय निर्धारित होगा। विश्वविद्यालय के द्वारा स्वाध्यायी विद्यार्थी का पंजीयन कराया जाएगा, जिससे कि इन्हे प्रत्येक सेमेस्टर में पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। विश्वविद्यालय पंजीयन का कार्य पूर्ण कर पंजीकृत स्वाध्यायी विद्यार्थियों की संकायवार/विषयवार सूची संबंधित महाविद्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

02. सतत आंतरिक मूल्यांकन की अवधि, प्रक्रिया एवं प्राप्तांकों का विश्वविद्यालय को प्रेषण संबंधी नियमावली।

(i) प्रत्येक महाविद्यालय अपने यहां के पंजीकृत स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा निम्नांकित तिथियों पर आयाजित करेंगे।

(अ) प्रथम आंतरिक मूल्यांकन	– 01 नवम्बर से 10 नवम्बर
(ब) द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन	– 01 दिसंबर से 10 दिसंबर
(स) असाइनमेंट	– 15 दिसंबर से 25 दिसंबर

(ii) आतंरिक मूल्यांकन परीक्षा हेतु, उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था सबंधित महाविद्यालय करेंगे। प्रायोगिक परीक्षा हेतु उत्तरपुस्तिका विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय किया जायेगा। उत्तर पुस्तिका संबंधी रिकार्ड रखने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की रहेगी। आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय से मंगाया जा सकता है।

(iii) प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा 20 अंक की होगी तथा असाइनमेंट 10 अंक का होगा। दोनों आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के प्राप्तांक में से जो अधिक होगा वही प्राप्तांक तथा असाइनमेंट के अंक महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार तथा निर्धारित तिथि तक प्रेषित किया जाएगा।

(iv) आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण संबंधित महाविद्यालय के संबंधित विषयों के शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार किया जाएगा।

(v) महाविद्यालय के स्वाध्यायी विद्यार्थियों की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा अनुशासित तरीकों से तथा अकादमिक प्रदत्त गुणवत्ता संगतता के साथ ली जाए।

(vi) आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन संबंधित महाविद्यालय के संबंधित विषयों के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा।

(vii) संबंधित महाविद्यालय द्वारा स्वाध्यायी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका के प्राप्तांकों को रोल नम्बर अनुसार (Foil /c Foil) बनाकर संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाईन प्रेषित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अलग से निर्देश जारी किये जायेंगे।

03. **प्रायोगिक विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रायोगिक कक्षाओं का संचालन, प्रायोगिक अवधि एवं आंतरिक मूल्यांकन का निर्धारण।**

(i) प्रायोगिक विषयों के स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु सेमेस्टर परीक्षा के 45 दिवस पूर्व प्रायोगिक कक्षाएं/लेब वर्क का संचालन अनिवार्य रूप से किया जाए एवं पाठ्यक्रम के आधार पर प्रायोगिक कार्य पूर्ण कराया जाये।

(ii) प्रत्येक स्वाध्यायी विद्यार्थी को 30 घन्टे की प्रायोगिक कक्षा/लेब वर्क का मिलना चाहिये जो एक क्रेडिट के बराबर होगा। (ज्ञातव्य हो कि प्रायोगिक विषय में 3 क्रेडिट Theory एवं 1 क्रेडिट Practical है)

(iii) प्रायोगिक परीक्षाएं पूर्ववत् विश्वविद्यालय के समय सारणी अनुसार ली जायेगी तथा प्राप्तांकों को संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाईन प्रेषित किया जाएगा। इस हेतु विश्वविद्यालय अगल से निर्देश जारी करेंगे।

04. **GE, VAC, SEC चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।**

(i) दिनांक 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक स्वाध्यायी विद्यार्थियों से चर्चा करके GE/VAC/SEC उनकी इच्छानुसार एवं महाविद्यालय की उपलब्धतानुसार आबंटित कर दिया जाएगा।

(ii) इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित केन्द्र अपने वेबसाईट/नोटिस बोर्ड/अन्य के माध्यम से GE/VAC/SEC की सूची उपलब्ध करायेंगे।

(iii) आबंटित GE/VAC/SEC की सूची महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करा दिया जाएगा।

05. **अंत सेमेस्टर परीक्षा के आवेदन तिथि का निर्धारण।**

(i) परीक्षा आवेदन की तिथि एवं शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, तथा परीक्षा आवेदन की प्रक्रियाएवं अन्य प्रक्रिया का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशानुसार किया जायेगा।

(ii) परीक्षा आवेदन हेतु स्वाध्यायी विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय में निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

06. **आंतरिक मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के मानदेय का निर्धारण।**

आंतरिक मूल्यांकन हेतु टेस्ट पेपर एवं असाइनमेंट के लिये मानदेय का दर विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु मानदेय पूर्ववत् विश्वविद्यालय के नियमानुसार रहेगा।

07. **स्वाध्यायी विद्यार्थियों से संबंधित अतिरिक्त कार्य के लिए स्टाफ की आवश्यकता का निर्धारण।**

(i) स्वाध्यायी विद्यार्थियों के पंजीयन से लेकर परीक्षा तक के अधिकतर कार्य नियमित विद्यार्थियों के साथ ही किये जाने है तथा बहुत से कार्य विश्वविद्यालय द्वारा ही पूर्ण किये जाने है, ऐसी स्थिति में अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता

महाविद्यालय में नियुक्त अतिथि व्याख्याता को अतिरिक्त कार्य देकर पूर्ण कराया जा सकता है। इस हेतु शासन द्वारा अतिथि व्याख्याता के लिये जारी नियमावली अनुसार उन्हे अतिरिक्त भुगतान किया जा सकता है।

(ii) संबंधित महाविद्यालय में स्वाध्यायी विद्यार्थियों से संबंधित एक प्रकोष्ठ की गठन किया जाये, जिससे एक प्रभारी प्राध्यापक एवं आवश्यकतानुसार तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी नियुक्त किये जाए। इनका मानदेय जनभागीदारी मद/स्वाध्यायी विद्यार्थियों से प्राप्त राशि मे से प्रदान किया जाये।

स्वाध्यायी विद्यार्थियों के प्रकोष्ठ का प्रस्तावित मानदेय (मानदेय प्रतिमाह)

क्र	छात्र संख्या	प्रभारी प्राध्यापको की संख्या	प्रभारी प्राध्यापको का मानदेय	सहायक कर्मचारियों की संख्या	सहायक कर्मचारियों का मानदेय
1	500 तक	01	1000	01	500
2	500 से 2000 तक	01	1500	02	500 (प्रति व्यक्ति)
3	2000 से 5000 तक	01	2000	04	500 (प्रति व्यक्ति)
4	5000 से अधिक	02	2000 (प्रति व्यक्ति)	05	500 (प्रति व्यक्ति)

08. आवश्यकता अनुरूप स्वाध्यायी विद्यार्थियों से संबंधित अन्य नियम/निर्देश।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधीन क्रेडिट फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए तथा शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित अतिरिक्त सुझाव प्रस्तुत है।

(i) संबंधित महाविद्यालय अपने यहां पंजीकृत स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय के नियमित शैक्षणिक कार्य के पश्चात् अतिरिक्त बचे समय या अवकाश दिवस में भौतिक/ऑनलाइन रूप से कक्षाएं आयोजित करे।

(ii) संबंधित महाविद्यालयों में आयोजित होने वाली कक्षाओं का संचालन संभवतः ब्लेंडेड मोंड में करे ताकि स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। ऐसी कक्षाओं की रिकार्डिंग करके यूट्यूब में भी डाला जा सकता है।

(iii) महाविद्यालय के वेबसाईट में/यूटयूब चैनल में शिक्षकों के द्वारा तैयार किय गये विडियों लेक्चर भी उपलब्ध कराये जाए जिसका लाभ सभी विद्यार्थियों को विशेष रूप से स्वाध्यायी विद्यार्थियों को मिल सके।

(iv) अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से अवकाश दिवसों में निरंतर कक्षाये आयोजित की जाये। इसकी समय सारणी महाविद्यालय द्वारा सत्र के प्रारंभ मे जारी कर दी जाये।

(v) महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगें की स्वाध्यायी विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम भौतिक/ऑनलाइन/ब्लेंडेड/अन्य माध्यम से पूर्ण कराई जाये।

(vi) स्वाध्यायी छात्र द्वारा सत्र के मध्य महाविद्यालय/केन्द्र को परिवर्तित करने का विकल्प नही रहेगा।

(vii) GE/VAC/SEC महाविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं स्वाध्यायी विद्यार्थियों को वही चयन करना होगा।

30.05.2024

(राकेश कुमार ध्रुव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु प्रस्तावित अकादमिक कैलेण्डर 2024

प्रथम सेमेस्टर हेतु

क्रमांक	अकादमिक कार्य/गतिविधियां	स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु तिथि
01	विश्वविद्यालय मे स्वाध्यायी विद्यार्थियों का पंजीयन	01/10/2024 से 20/10/2024
02	संबंधित महाविद्यालय को स्वाध्यायी विद्यार्थियों की सूची का प्रेषण।	21/10/2024
03	संबंधित महाविद्यालय के द्वारा संकायवार/विषयवार स्वाध्यायी विद्यार्थियों का व्हाट्स अप ग्रुप तैयार करना। प्रत्येक व्हाट्स अप ग्रुप का Admin संबंधित संकाय/विषय का शिक्षक होगा।	21/10/2024
04	स्वाध्यायी विद्यार्थियों को महाविद्यालय में उपलब्ध GE/VAC/SEC का विद्यार्थियों से सहमति उपरांत आबंटन	21/10/2024 से 26/10/2024
05	सेमेस्टर परीक्षा के लिए स्वाध्यायी विद्यार्थियों द्वारा आवेदन तिथि	15/11/2024 से 25/11/2024
06	स्वाध्यायी विद्यार्थियों की रोल नंबर अनुसार सूची का संबंधित महाविद्यालय को प्रेषण	26 अक्टूबर 2024
07	स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन	01/11/2024 से 10/11/2024
08	स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए संबंधित महाविद्यालय द्वारा द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन	01/12/2024 से 10/12/2024
09	स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए संबंधित महाविद्यालय द्वारा असाइनमेंट जमा करने की तिथि	15/12/2024 से 25/12/2024
10.	स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा की तिथि	15/12/2024 से 31/12/2024

30.09.2024

(राकेश कुमार ध्रुव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग